

25/02/20

पत्रावली पेशा वादी वकील अनु०। प्रतिवादी सं. 2  
ने वकील अनु०। न्यायालय सभ्य के वादी वकील के  
कमरे का तीन बार आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर  
नहीं, अतः वादी का वाद अल्प दायरी अडमपेरी  
के खरीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैल सुधार  
के माफिस अडमपेरी से भेजा है।

महापंक कलक्टर  
बौहटन

